

ORDER SHEET
The Court of Saksham Narula, J.M.F.C., Gwalior {M.P.}

धारा 491 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
विविध आपराधिक कार्यवाही
म0प्र0 शासन वि0 गगन शर्मा

M.J.C.R. No. 2401 of 2026

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
05.08.2026	राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति/जबाब हेतु नियत है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष जोशी ने लिखित जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि आरोपी अत्यंत गरीब है मुचलका जप्ती देने की स्थिति में नहीं है। आरोपी जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहे हैं वरन् सद्भावी चूकवश उपस्थित नहीं हो सके हैं और वारंट की जानकारी होने पर तत्परता पूर्वक स्वतः उपस्थित हो गये हैं। अस्तु यदि किन्ही परिस्थितियों में उन्हें दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम शास्ति अधिरोपित की जावे। आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया। आरोपी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के सम्बंध में 8,000/- रुपये का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत किये जाने के तथ्य से इन्कार नहीं किया है किन्तु अनुपस्थिति का दर्शित कारण सद्भावी चूक हो जाना बताया है। चूंकि आरोपी आज दिनांक को स्वतः उपस्थित हो गया है। ऐसी स्थिति में सद्भावी चूक के संबंध में बताया गया कारण प्रथमदृष्टया सद्भाविक प्रतीत नहीं होता है, परंतु उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये संपूर्ण बंध पत्र की राशि सम्पृहृत नहीं करते हुये राशि 500/-रुपये सम्पृहृत की जाना तथा शेष राशि को परिहार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः विचारोपरांत आरोपी की ओर से प्रस्तुत बंध पत्र में से 500/-रुपये राशि सम्पृहृत करते हुये शेष राशि परिहार की जाती है। सही / - सक्षम नरुला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर (म0प्र0)	

पुनश्च:-

आरोपी ने बंधपत्र के समपहरण की शास्ति की राशि रुपये 500/-
ऑनलाइन कोर्ट फीस क्रमांक 296094 / 2026 के माध्यम से जमा किये।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का अभिलेख अभिलेखागार में नियमानुसार जमा किया
जावे।

सही/-

सक्षम नरुला
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर (म0प्र0)